संख्या– 254/XXII/2008–02(7)/2007/टी0सी0

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सूचना अनुभाग — देहरादून : दिनांक 24 नवम्बर, 2008

विषयः– पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनांवटन स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0.–2270/सू.एवंलो.सं.वि./लेखा/पुनर्विनियोग/2008–09 दिनांक 11 नवम्बर ,2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना एवं प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी.एम.–15 में इंगित विवरणानुसार **रू. 30,00,000/–(रूपये तीस लाख मात्र)** की धनराशि को अनुदानान्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। धनराशि व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

3–किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम (स्टोर, परचेज रूल्स), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों तथा समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, लेकिन नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5–उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–14–लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनत्तर पक्ष के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी.एम.–15 में इंगित लेखाशीर्षकों के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

6–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र संख्या–446NP/वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5/2008 दिनांक 21.नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 254. /XXII/2008–02(7)/2007/टी0सी0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव

प्रपत्र बी0एम0 15

पुर्नविनियोग वित्तीय वर्ष 2008–09

नियंत्रक अधिकारी– महानिदेशक सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड प्रशासनिक विभाग– सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन

अनुदान संख्या– 14 मतदेय– आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का मदवार विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि स्तम्भ–1	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2220 सूचना तथा प्रचार –01–फिल्म–आयोजनेत्तर –105–फिल्मों का निर्माण –03–अधिष्ठान–00 मानक मद– 31–सामग्री और सम्पूर्ति बजट – 6000	–	3000	3000	2220 सूचना तथा प्रचार –आयोजनेत्तर–60–अन्य –001–निदेशन तथा प्रशासन –03–अधिष्ठान –00 मानक मद– 22–आतिथ्य व्यय/ व्यय विषयक भत्ता आदि– 3000	6500	3000	मा.मुख्य मंत्री जी के पत्रकार सम्मेलनो के आयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
योग– 6000	–	3000	3000	3000	6500	3000	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–5

संख्या–५५६м१/ XXVII(5)/2008

देहरादून दिनांक नवम्बर, 2008

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(टी.एन.सिंह .)

अपर सचिव

सेवामें,

महालेखाकार

उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–254/ XXII()/2008.2(3) 2008, दिनांक 24 नवम्बर, 2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. वित्त अनुभाग–5
5. एन.आई.सी.सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

(सुबर्द्धन)

अपर सचिव